


156118

पत्रावली के अन्तर्गत में पत्रावली  
वकील प्रार्थी उपस्थित। मूल काण  
खारिज हो गया है। अतः उक्त फल  
212R78 का खारिज किया जाता है।  
पत्रावली के अन्तर्गत प्रमाणों के अभाव में  
सो फल (1) सुनाया।

  
S. S. S.